तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
———

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीडवाडा
——प्रार्थी

बनाम

1—श्रीमति अल्का ठक्कर पत्नि नवनीत कुमार ठक्कर निवासी शास्त्री नगर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा
2—सत्येन्द्र कुमार परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई. चित्तौडगढ (प्रार्थी आदेश 1नियम10 प्रार्थनापत्र पत्र प्रस्तुत कर्ता)
——अप्रार्थीगण

उपस्थितः—
श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
श्री एस.पी.सिंह अभिभाषक, अप्रार्थीगण संख्या एक की ओर से
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से (आदेश 1 नियम10सीपीसी प्रा0पत्र प्रस्तुतकर्ता)

निर्णय दिनांक 30—7—2019

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 6—7—2005 (अपील संख्या 377/03 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यानुसार तहसीलदार माण्डल ने प्रकरण सं. 235 निर्णय दिनांक 10—9—93 द्वारा आवेदक/ अप्रार्थी संख्या एक के आवेदन पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के तहत तहसील माण्डल की आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा में से 379 वर्म मीटर आवासीय एवं 2529. 28 वर्गमीटर वाणिज्यिक परिवर्तन किये जाने का आदेश पारित किया , उक्त आदेश की पालना में गलत अंकन राजस्व नक्शे में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होने के कारण इसकी प्रथम संख्या 101/02 अपर जिला कलक्टर भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत होने पर उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–8–2003 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया , जिससे व्यथित होकर द्वितीय अपील संख्या 377/03 शीर्षक श्रीमति अलका ठक्कर बनाम राजस्थान सरकार अन्तर्गत धारा 76 एलआरएक्ट न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत हुई । विद्वान अपील अधिकारी ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने आदेश दिनांक 6–7–2005 के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया तथा तहसीलदार को निर्देशित किया कि तहसीलदार के आदेश में संपरिवर्तित की गयी भूमि को सडक के किनारे मानकर संशोधित तरमीम की जावे। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। दौराने विचाराधीन निगरानी मण्डल के समक्ष प्रार्थी सत्येन्द्र कुमार ,परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, प.का.ई. चित्तौडगढ की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीस बावत पक्षकार बनाये जाने हेतु दिनांक 20–6–19 को प्रस्तुत किया गया। इसमें उनके अभिभाषक की ओर से निवेदन किया गया कि विवादित आराजी संख्या 23/2 भी राजमार्ग हेतु अवाप्त की गयी जिसका अवार्ड अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा जारी नही किये जा रहे है। परन्तु उक्त प्रकरण लम्बित खसरा नम्बर 23 से सम्बन्धित अवार्ड लम्बित है, जिसमें हमें पक्षकार बनाया जावे। इसके विपरीत अभिभाषक प्रार्थी की ओर से इसका खण्डन कर प्रार्थनापत्र को खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षों की बहस सुनकर प्रार्थनापत्र के अवलोकन के बाद यह न्यायालय प्रार्थी को प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या दो पक्षकार के रुप में संयोजित करना उचित समझता है। गुणावगुण पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के गहन अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 10–9–93 को अप्रार्थी श्रीमति अलका के पक्ष में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के तहत तहसील माण्डल की आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा में से 379 वर्ममीटर आवासीय एवं 2529.28 वर्गमीटर वाणिज्यिक संपरिवर्तन किया गया। कालांतर में तहसीलदार द्वारा संपरितर्वतन भूमि राजस्व नक्शे में गलत स्थान पर फिट कर दी गयी। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्पष्ट किया है कि पटवारी द्वारा नक्शे में जो तरमीम की गयी है वह त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में यह तरमीम कुए की आराजी को छोडते हुए की जानी चाहिए थी। इसके अतिरिक्त संपरिवर्तन प्रार्थनापत्र में पटवारी हल्का की रिपोर्ट स्पष्टतः अंकित करती है कि अप्रार्थी संख्या एक हाईवे के पास अजमेर रोड के किनारे परिवर्तन चाहती है अतः इसका अंकन सडक के किराने किया जाना चाहिए। जहॉ तक भारतीय राजमार्ग नियम 1956 की उदघोषणा जारी होने का प्रश्न है, यह अधिसूचना कब जारी की गयी, ऐसा कोई रिकार्ड पत्रावली में सलंग्न नही है। स्वयं प्राधिकरण के अभिभाषक द्वारा जो प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 1नियम 10 सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया है उससे भी यह तथ्य स्पष्ट नही होता है। इसके विपरीत यह प्रतीत होता है कि सडक के अवाप्ति हेतु अधिसूचना संपरिवर्तन आदेश के बाद जारी की गयी है। परिणामस्वरुप यह न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय में कोई वैधानिक त्रुटि नही पाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनायागया। (मनोज कुमार नाग) सदस्य	